बिहार सरकार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

सं0–1जी0/ई0 जि0 क0–20–16/2011– 137 पटना, दिनांक– 27.01.

संकल्प

विषय– नोडल विभाग(स्वास्थ्य, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, देशी चिकित्सा) हेतु अधिसूचित सेवा/संवर्ग नियमावली के अनुरूप अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग के अधीन सृजित आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी के लिए सेवा संवर्ग नियमावली अंगीकृत करने के संबंध में।

अनु0 जाति एंव अनु0 जनजाति कल्याण विभाग के अधीन संचालित आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्रों के अविभाजित बिहार के लिए आयुर्वेर्दिक चिकित्सा पदाधिकारी के पद कई दशक पूर्व 45 पद सृजित किया गया था। तत्पश्चात महालेखाकार बिहार, रांची के पत्रांक–टी0 ए0–42/2225–आयुवेर्दिक चिकित्सा/90–91/1151–64 दिनांक–19.12.90 द्वारा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित है।

2– बिहार पुर्नगठन अधिनियम–2000के आलोक में उक्त पदों का संवर्ग विभाजन के पश्चात झारखण्ड राज्य के अधीन आयुवेर्दिक चिकित्सा पदाधिकारियों का 35 (पैंतीस) पद एवं शेष बिहार राज्य के लिउ 10 (दस) पद अनुमान्य कराये जाने के पश्चात बिहार राज्य में 10 (दस) आयुवेर्दिक चिकित्सा केन्द्र एवं चिकित्सा का पद निम्नवत हैः–

क्र0	प्रमंडल का नाम	जिला का नाम	केन्द्र अवस्थित प्रखंड का नाम	आयुवेर्दिक चिकित्सा केन्द्र का नाम	स्वीकृत पद
1	2	3	4	5	6
1	मुंगेर प्रमंडल	जमुई	बरहट	आयुवेर्दिक चिकित्सा केन्द्र बरहट।	01
2	मुंगेर प्रमंडल	जमुई	सोनो	आयुवेर्दिक चिकित्सा केन्द्र बटिया।	01
3	मुंगेर प्रमंडल	जमुई	चकाई	आयुवेर्दिक चिकित्सा केन्द्र दुलमपुर	01
4	मुंगेर प्रमंडल	जमुई	खैरा	आयुवेर्दिक चिकित्सा केन्द्र रूपावेल	01
5	पूर्णियां प्रमंडल	पूर्णियां	वनमक्खी	आयुवेर्दिक चिकित्सा केन्द्र मलीनियां	01
6	पूर्णियां प्रमंडल	पूर्णियां	धमदाहा	आयुवेर्दिक चिकित्सा केन्द्र कोठी	01
7	पूर्णियां प्रमंडल	कटिहार	कोढा	आयुवेर्दिक चिकित्सा केन्द्र मड़वा	01
8	पूर्णियां प्रमंडल	कटिहार	आमसनगर	आयुवेर्दिक चिकित्सा केन्द्र शीतलपुर	01
9	पटना, प्रमंडल	कैमूर	अधौरा	आयुवेर्दिक चिकित्सा केन्द्र सारोदाग	01
10	पटना, प्रमंडल	रोहतास	नौहटा	आयुवेर्दिक चिकित्सा केन्द्र रेहल	01
				कुल	**10 (दस)**

3–इन पदों पर नियुक्ति की अहर्ता, प्रोन्नति, रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना आदि का विषय संवर्ग नियमावली गठित नहीं रहने के कारण अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, के अधीन चिकित्सा पदाधिकारियों के संवर्ग नियमावली गठन का प्रस्ताव विचारधीन है।

4–आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों के नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त संवर्ग नियमावली के लिए स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग नोडल विभाग में इन पदो के लिए लागू संवर्ग नियमावली को इस विभाग में सृजित आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों के अंगीकृत किये जाने पर संवर्ग नियमावली में एकरूपता बनी रहेगी।

5–तत्पश्चात सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सेवा/संवर्ग नियमावली को अंतिम रूप देने के प्रयोजनार्थ गठित प्राधिकृत समिति के परामर्श के आलोक में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं0–794 दिनांक–21.12.10 द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों के लिए अधिसूचित चिकित्सा सेवा संवर्ग नियमावली को ही अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग के अधीन आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों के लिए अंगीकृत किया जाता है।

6–प्रस्ताव में विभागीय मंत्री/विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

(हस्ताक्षर) 25/1/012

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक– 137 पटना, दिनांक– 27.1.2012

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2– उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 250 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

(हस्ताक्षर) 25/1/012

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक– 137 पटना, दिनांक–27.1.2012

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/निदेशक/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/विभाग के सभी पदाधिकारी सहित स्थापना शाखा को 10 अतिरिक्त प्रतियां सहित एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 25/1/012

सरकार के अवर सचिव